पार्सल ऑफिस में पकड़ी 8 लाख की विदेशी सिगरेट, मिलीभगत का शक

ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर | जयपुर

जयपुर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों अवैध तरीके से ट्रेनों में नशीले मादक पदार्थ भेजे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आरपीएफ के जयपुर आईपीएफ राजकुमार ने बताया कि सोमवार को रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल ऑफिस में एसआई निशिकांत तिवाडी और कांस्टेबल राजेंद्र कुमावत को सूचना मिली कि पार्सल ऑफिस में अवैध तरीके से नशीले मादक पदार्थ बुकिंग कर बाहरी शहरों में सप्लाई के लिए भेजे जा रहे हैं। इस पर जांच करने पर वहां 4 कार्टून संदिग्ध अवस्था में मिले। जब उन्हें खोला गया, तो उनमें गोल्ड एस, डूनहिल और मार्लबोरो कंपनी की सिगरेट के 3845 पैकेट मिले। जिसकी बाजार कीमत करीब 8.84 लाख है। राजकुमार ने बताया कि सिगरेट के पैकेटों को अवैध तरीके से (मिस डिक्लेरेशन) बुक किया गया था। आरपीएफ ने इसे जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए जीएसटी को सूचना दी। सूत्रों ने बताया कि इस पूरे मामले में पार्सल कर्मियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। आरपीएफ ने भी रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।